कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी।

(अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–07/2019)

राजस्व विभाग, बिहार, सरकार एवं पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के सौजन्य से जिला प्रशासन, पटना की तत्वाधान में पटना जिला के पुनपुन अंचल अंतर्गत पुनपुन प्रथम पिंडदान स्थल पर दिनांक–17.12.19 से 15.01.20 तक ''**पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पौष खरमास मेला**'' का आयोजन होना निर्धारित है।

उक्त मेला के अवसर पर आगन्तुक पिंडदानियों/श्रद्वालुओं/पर्यटकों एवं गणमान्य अतिथियों के सुरक्षा एवं सुख–सुविधा की दृष्टिगत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुभवी प्राप्त फर्म/एंजेसियों एवं संवेदकों से दो बिड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तिय निविदा अलग–अलग प्रपत्र में) अंतर्गत अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रं0 सं0	कार्य स्थल	कार्य का विवरण	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	पुनपुन अंचल अंतर्गत अंर्तराष्ट्रीय प्रथम पिंडदान स्थल, पुनपुन नदी घाट, धर्मशाला, पार्क घाट एवं टेंपु स्टैंड, पुनपुन।	अस्थायी वाटरप्रुफ पंडाल/मंच/साउण्ड/विडियोग्राफी/सी0सी0टी0वी0कैमरा/फुल–माला–बुके/फर्नीचर/कुर्सी–टेबल/स्वागतगेट/लाईट/वाचटावर/डस्टबीन/साईडवाल डिजायन/बेड–सीट, सफाई मजदूर, एल0ई0डी0/हाई मास्क लाईट की मरम्मति एवं अन्य जरूरतमंद सामग्रियाँ	दिनांक 30.11.2019 समय 04:00 अपराह्न तक	दिनांक 02.12.2019 समय 11:30 पूर्वाह्न

इच्छुक निविदाताओं से अनुरोध है कि कार्य संबंधित विस्तृत सूचना/आपूरित की जाने वाले सामग्रियों की विस्तृत विवरणी अनुमंडल कार्यालय, मसौढ़ी के नजारत शाखा/0612–2434246 से संपर्क कर अथवा www.eblocks.bih.nic.in /www.patna.nic.in प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा द्विलिफाफा प्रणाली के अनुरूप (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पत्र) मुहरबंद लिफाफे में अनुमंडल कार्यालय, मसौढ़ी के पते पर हाथों–हाथ अथवा निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित अवधि बीत जाने के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र विचार/स्वीकार नही किया जाएगा।

निविदा खुलने के समय निविदाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निविदा खोलते समय उपस्थित रहना अनिवार्य है। निविदा खोलने की तिथि को निविदाता अगर ससमय कार्यालय में उपस्थित नही होते हैं, तो निविदा समिति किसी प्रकार की दावा–आपत्ति हेतु उत्तरादायी नही होगा। निविदा समिति द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के अनुसार सफल निविदाता को कार्यादेश निर्गत किया जाएगा। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथि को सरकारी अवकाश रहने अथवा अपरिहार्य कारणवश स्थगित होने पर अगले कार्यदिवस को निविदा खोला जाएगा। इस हेतु कार्यालय द्वारा अलग से भाग लेने वाले निविदाताओं को कोई सूचना निर्गत नही किया जाएगा।

निविदाताओं को निविदा में भाग लेने हेतु निम्न निर्धारित शर्तो को पूरा करना होगा। आधा–अधुरा प्राप्त निविदा पत्रों पर निविदा समिति द्वारा विचार नही किया जाएगा।

निविदा प्राप्त करने हेतु अन्य शर्ते निम्नवत् है:–

1. उपरोक्त अंकित सामग्रियों की संख्या/कार्य क्षेत्र आवश्यकतानुरूप बढ़ायी या घटायी जा सकती है, जिसे संवेदक द्वारा प्रतिपूर्ति करना होगा।
2. निविदा में भाग लेने वाले फर्म/एंजेसी/संवेदकों को GST का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
3. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के हीं वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।
4. उपरोक्त सभी कार्यो का निष्पादन एक हीं निविदादाता द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति/उल्लिखित कार्य कराया जाएगा।
5. तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेगें।

   (क) निविदाता को ''अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी'' के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का सुरक्षित राशि के रूप में 50,000/–रूपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में संलग्न करना होगा।

Scanned by CamScanner

(ख) पैन संख्या/टैन संख्या अर्थात आयकर दाता होने का प्रमाण पत्र एवं गत् 03 वर्षो का आयकर रिर्टन एवं अंकेक्षित बैलेंस शीट।

(ग) सेवाकर निबंधन प्रमाण पत्र एवं गत् दो वर्षो का सेवाकर जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र।

(घ) विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्य कराने का अनुभव रहने पर संबंधित संवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। विशेष परिस्थिति में निविदा समिति सदस्यों के निर्णयानुसार अनुभव संबंधी शर्तो को क्षांत किया जा सकता है।

(ड.) पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

(च) निविदाता को काली सूची में नाम दर्ज नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(छ) निविदाता को अलग से इस आशय का स्वघोषणा पत्र समर्पित करना होगा की इनके द्वारा तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में रखे गये कागजात एवं दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं भविष्य में किसी तरह की सूचना गलत पाये जाने पर अथवा कागजात फर्जी पाये जाने पर नियमसम्मत् मेरे विरूद्ध कानुनी कार्रवाई की जायेगी।

6. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को सुरक्षित रहेगा।

7. सफल निविदाता को मेला अवधि के दरम्यान जिला प्रशासन के निदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार अन्य सुविधाएँ देना/कार्य कराना होगा।

8. सफल निविदाता को कार्य स्थल पर मेला प्रारंभ होने के दो दिन पूर्व निश्चित रूप से कार्य पूर्ण कर अंचलाधिकारी, पुनपुन के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को संसूचित करना होगा।

Sd/- 9/11/15

अनुमंडल पदाधिकारी,
मसौढ़ी, पटना।

Scanned by CamScanner